सकेगा।

मानवाधिकार आयोग के पूर्ण पीठ की पांच घंटे सुनवाई 407 प्रकरणों पर दिए कार्रवाई के निर्देश दिए

पुलिस कार्रवाई की शिकायत पर कई लोगों के बहे आंसू, हर विभाग से संबंधित पीड़ितों ने लगाई गुहार

नवज्योति/जोधपुर। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास की अध्यक्षता में पूर्ण पीठ ने गुरूवार को पांच घंटे लगातार जोधपुर जिले के मानवाधिकार से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। जस्टिस व्यास ने एक एक परिवादी से बातचीत कर प्रकरण की गहनता से सुनवाई की और मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। जस्टिस व्यास ने कहा कि मानवाधिकार आयोग सदैव यह प्रयास करता है कि वंचित व पिछड़े तबको सहित किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो और वह संविधान के अनुरूप अपना जीवन यापन कर सके।

प्रकरणों पर दिखाई गंभीरता

परिवादियों की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में जब यह तथ्य सामने आया कि झूठी एफआईआर दर्ज होने के कारण एक व्यक्ति को मानहानि का सामना करना पड़ा। समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इस पर जस्टिस व्यास ने कहा कि झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्तियों को हतोत्साहित करने के लिए कानून के अनुसार उन पर कार्यवाही की जाए जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति की छवि धूमिल न हो और उसे बेवजह पीड़ित न किया जा सके। एक अन्य प्रकरण में मूक बधिर किशोर का विकलांगता प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के मामले को आयोग ने गंभीरता से लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में बिना किसी देरी के उचित निर्णय देकर प्रकरणों को निस्तारित किया जाए । जस्टिस व्यास ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त बजट के तहत थानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएं। उन्होंने जेल अधिकारियों से जेल में मोबाइल फोन पाये जाने की घटनाओं को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए। जस्टिस व्यास ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस पीड़ितों व उनके परिजनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिलिकोसिस नीति व पेंशन योजनाएं आदि प्रारंभ की गई है। जिला प्रशासन इस ओर संवेदनशील रहते हुए सिलिकोसिस पीड़ितों को सहायता राशि पहुंचाने का कार्य तेज गति से करे।

407 प्रकरण सुने

मानवाधिकार आयोग की पूर्ण पीठ ने विभिन्न विभागों से संबंधित 267 एवं बैठक के दौरान प्राप्त 140 नये प्रकरणों पर भी सुनवाई कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए व परिवादियों को राहत प्रदान की।

ये रहे मौजूद

बैठक में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस महेश चन्द्र शर्मा, सदस्य महेश गोयल, रजिस्ट्रार ओमी पुरोहित, उप सचिव सीमा शर्मा, डॉ दीपा जैन, संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह के साथ पुलिस व संबंधित विभागों के अधिकारी, आयोग के राजीव शर्मा, गणपत शर्मा, महेश पारिक, रामपाल, रवि पुरोहित, उपस्थित थे।

कार्यालय नगर नि
कार्यालय नगर निगम
कार्यालय